GCMS-2021/84

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– भागीरथ शाख आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2021

1. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल नाई निवासी लूनकरनसर ।

– प्रार्थी –

–बनाम–

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए एवं आवंटन नियम 1975 के नियम 17(4)

दिनांक :– 24-03-2021

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

–:निर्णय:–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के नाम से चक 269–600 आरडी के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 8 की 15 बिस्वा अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का उडाणा के अनुसार उक्त चक 269–600 आरडी के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 3ता 5 कमाण्ड, 6 में [illegible] बिस्वा, 7में 1 बीघा, 8में 1 बीघा, 13 में 1 बीघा, 14 में 1 बीघा, 15 में 3 बिस्वा, 17 [illegible] बीघा, 18 में 1 बीघा, 24 में 4 बिस्वा अनकमाण्ड कुल 11.04 बीघा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

रिपोर्ट सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र क्रमांक 2794 दिनांक 16.02.2018 अनुसार वर्ष 1976–77 में चक 269 (सीधे मोघे) के मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 8 की 15 बिस्वा कमाण्ड व 5 बिस्वा अनकमाण्ड घोषित की गई है ।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार लूनकरनसर सैल रजिस्टर के खाता संख्या 34 में चक 269–600 आरडी रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल नाई के नाम से किला नम्बर 8 में 1 बीघा स्मालपेच आवंटन दर्ज हैं। जिसकी अनकमाण्ड की दर से सम्पूर्ण राशि जमा हैं। प्रार्थी किला नम्बर 8 की 15 बिस्वा की कमाण्ड की दर से अन्तर राशि जमा करवाकर रिकोर्ड में अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्ज करवाना चाहता हैं।

हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट ,सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं जमाबन्दी का अवलोकन किया । मुताबिक सिंचाई प्रमाण पत्र दिनांक 16.02.2018 के चक 269–600 आरडी में प्रार्थी के नाम से मु.नं. 50/33 के किला नम्बर 8 में 1 बीघा बतौर स्मालपेच आवंटन दर्ज हैं। जिसकी अनकमाण्ड की दर से सम्पूर्ण राशि जमा हैं। अतः उक्त किला नम्बर 8 की 1 बीघा अनकमाण्ड में से 15 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर प्रार्थी से उक्त 15 बिस्वा की तत्समय प्रचलित कमाण्ड की दर से अन्तर राशि वसूल कर रिकॉर्ड में कमाण्ड का अंकन करे। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निर्णय में शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 24-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:34:44 IST
Reason: SelfAttested